कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद
डासना फाटक रेलवे पुल के नीचे

Letter No: 974/1C **Date:** 03/09/2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर, उ0प्र0

विषयः— जनपद मुजफ्फरनगर में नये घोषित राष्ट्रीय मार्ग एन0एचव—334ए (लक्सर—पुरकाजी मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 तक 0.21 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/40150/2019।

संदर्भः—
1. इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 837 / 1C दिनांक 04.08.2020।
2. आपका पत्रांक संख्या 314 / 14—1 दिनांक 04.08.2020।

महोदय,

कृप्या उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा निम्नलिखित कमियों / अभिलेखों का बिन्दुवार निराकरण का इस प्रकार है।

1	प्रस्तुत प्रस्ताव के 03 प्रतियों में ही पार्ट—1 की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न की गयी है, शेष 02 प्रतियों में पार्ट—1 संलग्न नहीं है।	प्रस्तुत प्रस्ताव के 05 प्रतियों में पार्ट—1 की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में गैर वन भूमि पर अवस्थित 3533 बाधक वृक्षों की सूची संलग्न एवं सारांश किया है, जबकि भारत सरकार द्वारा केवल संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उक्त पर अवस्थित बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः गैर संरक्षित वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की सूची को प्रस्ताव से पृथक करें एवं केवल संरक्षित वन भूमि पर अवस्थित 59 वृक्षों की सूची संलग्न करें।	गैर वन भूमि पर अवस्थित 3533 बाधक वृक्षों की सूची एवं संरक्षित वन भूमि पर अवस्थित 59 वृक्षों की सूची पृथक कर संलग्न कर दिया जायेगा।
3	प्रस्ताव में किसी भी पृष्ठ पर न तो पृष्ठ संख्या अंकित है और न ही संलग्नक संख्या अंकित की गयी है। अतः प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या एवं संलग्नक संख्या अंकित करते हुए सारांश सूची बनाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद पृष्ठ संख्या एवं सारांश सूची बना कर अंकित किया जायेगा।
4	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को पृथक—पृथक चैक लिस्ट संख्या—8 एवं चैक लिस्ट संख्या—9 में दर्शाकर संलग्न नहीं किया गया है, कृपया संलग्न करें।	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को पृथक—पृथक चैक लिस्ट संख्या—8 एवं चैक लिस्ट संख्या—9 में दर्शाकर संलग्न कर दिया जायेगा।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नारायण सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
गाजियाबाद
3/9/2020